न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम चमनपुरा तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–56/2017

अनवान

1 मोडु पिता मांगु खटीक उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... वादी

बनाम

1 लादु पिता मांगु खटीक उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 प्रभु लाल पिता मांगु खटीक उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 सोहनलाल पिता मांगु खटीक उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री कृष्णकुमार जीनगर... वकील वादी
परोकार सरकार.............विपक्षी कम 04

दिनांक – 16.05.2018

वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण, सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88–89–90–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम चमनपुरा पटवार हल्का क्षैत्र चमनपुरा भु.अ.निरीक्षक क्षैत्र महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 246 के आराजी संख्या 443, 1098, 1389/1096 कुल किता 03 कुल रकबा 02–12 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के पिता का नाम मांगु पिता बख्तावर खटीक के बजाय मांगु पिता जोरा खटीक सा.देह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिकी पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

यह डिकी आज दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम चमनपुरा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

शी52
श्री कृष्ण कुमार जीनगर एडवोकेट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम चमनपुरा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

करण संख्या :–56/2017

अनवान

1 मोडु पिता मांगु खटीक उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... **वादी**

बनाम

1 लादु पिता मांगु खटीक उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 प्रभु लाल पिता मांगु खटीक उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 सोहनलाल पिता मांगु खटीक उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... **प्रतिवादी**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी**
पेरोकार सरकार........विपक्षी संख्या 04

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.05.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम चमनपुरा पटवार हल्का क्षैत्र चमनपुरा भु.अ.निरीक्षक क्षैत्र महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 246 के आराजी संख्या 443, 1098, 1389/1096 कुल किता 03 कुल रकबा 02–12 बीघा भूमि जमाबन्दी संवत 2015–18 में वादी एंव प्रतिवादीगण क्रम 01 लगायत 03 के दादा श्री जोरा पिता बख्तावर खटीक के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। त्तपश्चात जोरा पिता बख्तावर खटीक की मृत्युपरान्त उनके विधिक वारिस श्री मांगु खटीक के नाम पर नारान्तरकरण खोला गया जिसमें वादी एंव प्रतिवादीगण के पिता का नाम मांगु पिता जोरा खटीक के स्थान पर मांगु पिता बख्तावर खटीक त्रूटीपूर्ण दर्ज कर दिया गया। यानि वादी एंव प्रतिवादीगण के पिता मांगु खटीक के पिता जोरा पिता बख्तावर खटीक के स्थान पर वादी एंव प्रतिवादीगण के पडदादा बख्तावर खटीक का नाम भूलवश त्रूटीपूर्ण दर्ज कर दिया गया। जबकी वादी एंव प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक होकर दादा के जीवन काल से ही काबिज है एव वर्तमान में उपरोक्त आराजीयात पर उपयोग व उपभोग करता चले आ रहे है। अतः वादी एंव प्रतिवादीगण के पिता का नाम मांगु पिता जोरा खटीक के स्थान पर मांगु पिता बख्तावर खटीक राजस्व रेकार्ड में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

प्रकरण को दिनांक 08.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। नियत सुनवाई पर विपक्षी कम 01 लगायत 03 की और से वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने में अपनी और से सहमति व्यक्त करते हुए इसी संदर्भ से आदेशिका पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा ईकबालिया जवाब नियत सुनवाई पर प्रस्तुत किया गया। वादी की शहादत्त में वादी संख्या 01 द्वारा वादपत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किये गये, जिन पर पी. डब्ल्यू.–1, का तथा वादपत्र से संलग्न वादपत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व आधार अभिलेख जमाबन्दी संवत 2069–72 एंव 2015–18 तथा नामान्तरकरण संवत 2017 पर कमश प्रदर्श–01, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3 का लाल श्याही से अंकन किया गया। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम चमनपुरा के लिए पंजीबद्ध किया गया। वादी द्वारा प्रकरण को शीघ्र निस्तारण किये जाने की भावना से वादपत्र में बहस प्रस्तुत करनी चाहने से बहस सुनी गई। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी मय अधिवक्ता नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र एवं वादपत्र में अंकित बिन्दुओं के अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ आधारकार्ड, राजस्व आधार अभिलेख रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि वादी के पिता का नाम मांगु पिता जोरा खटीक है। लिहाजा वादी का वादपत्र प्रस्तुत दस्तावेजात के मेरिट पर परिक्षण से शीघ्र निस्तारण सिद्धान्त की भावना से प्रेरित होकर न्यायायिक दृष्टी से स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण, सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम चमनपुरा पटवार हल्का क्षैत्र चमनपुरा भु.अ.निरीक्षक क्षैत्र महुआखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 246 के आराजी संख्या 443, 1098, 1389/1096 कुल किता 03 कुल रकबा 02–12 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के पिता का नाम मांगु पिता बख्तावर खटीक के बजाय मांगु पिता जोरा खटीक सा.देह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिकी पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम चमनपुरा को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा